



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी  
डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.

प्रकरण संख्या  
17 / 2023  
GCMS NO 2023/28

दर्ज दिनांक  
01 / 04 / 2024

फैसल दिनांक  
23 / 12 / 2024

प्रार्थी

अप्रार्थी / बाकीदार-ऋणी

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बनाम  
त्रिशुल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीज  
ब्रीज, अहमदाबाद

1. श्री कोहीनुर ऑटो एजेन्सीज प्रोपराईटर  
अशरफ खान पठान पुत्र कुरेश खान पता  
एम जी रोड, प्रतापगढ़ -ऋणी
2. श्री आरिफ खान पठान पुत्र कुरेश खान  
पठान निवासी 228, बांसवाड़ा रोड  
जवाहर नगर वार्ड नंबर 19, प्रतापगढ़  
-सहऋणी
3. आयशा बी पत्नी कुरेश खान निवासी  
228, बांसवाड़ा रोड जवाहर नगर वार्ड  
नंबर 19  
अन्य पता प्लाट नंबर 14 एव 5 ब्लॉक  
डी बडा बाग प्रतापगढ़ -सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, विव्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित  
प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत

उपस्थिति :-

श्री नीरज शर्मा अधिवक्ता - प्रार्थीपक्ष

दिनांक :-23.12.2024

-: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.12.2019 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में आयशा बी की सम्पत्ति प्लाट नंबर 14 एवं प्लाट नंबर 5 का भाग ब्लॉक डी बडा बाग प्रतापगढ़ क्षेत्रफल 2250 वर्गफीट स्थित है जिसके पडोस पूर्व में-प्लाट नंबर 13, पश्चिम में -प्लाट नंबर 15, उत्तर में - रोड, दक्षिण में -प्लाट नंबर 5 का बाकी हिस्सा स्थित है। तथा प्लाट नंबर 15 व 4 का भाग एवं प्लाट नंबर 16 का भाग ब्लॉक डी क्षेत्रफल 3150 वर्गफीट आरिफ खान पुत्र कुरेश खान की भूमि स्थित है जिसके पडोस पूर्व में-प्लाट नंबर 14, पश्चिम में -प्लाट नंबर 1, उत्तर में - रोड, दक्षिण में -प्लाट नंबर 4 एवं प्लाट नंबर 16 का बाकी हिस्सा स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर 11144076/-अक्षरे एक करोड ग्यारह लाख चोवालिस हजार छियत्तर रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के

135

जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज 12533946 अक्षरे एक करोड़ पच्चीस लाख तैंतीस हजार नौ सो छियालिस रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये विपक्षी उपस्थित।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 15.09.2022 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई आयशा बी की सम्पत्ति प्लॉट नंबर 14 एवं प्लॉट नंबर 5 का भाग ब्लॉक डी बड़ा बाग प्रतापगढ़ क्षेत्रफल 2250 वर्गफीट स्थित है जिसके पडोस पूर्व में—प्लॉट नंबर 13, पश्चिम में —प्लॉट नंबर 15, उत्तर में — रोड, दक्षिण में —प्लॉट नंबर 5 का बाकी हिस्सा स्थित है। तथा प्लॉट नंबर 15 व 4 का भाग एवं प्लॉट नंबर 16 का भाग ब्लॉक डी क्षेत्रफल 3150 वर्गफीट आरिफ खान पुत्र कुरेश खान की भूमि स्थित है जिसके पडोस पूर्व में—प्लॉट नंबर 14, पश्चिम में —प्लॉट नंबर 1, उत्तर में — रोड, दक्षिण में —प्लॉट नंबर 4 एवं प्लॉट नंबर 16 का बाकी हिस्सा स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 23/12/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. अजली राजोरिया)  
जिला कलक्टर,  
प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. ऐक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस त्रिशुल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीज ब्रीज, अहमदाबाद
3. श्री कोहीनुर ऑटो ऐजेन्सीज प्रोपराईटर अशरफ खान पठान पुत्र कुरेश खान पता एम जी रोड, प्रतापगढ़